पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1667
दिनांक-13.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में 02 बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया**

01-कार्यवाही विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार एवं सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के कुशल मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले 02 बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

02- संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.09.2026 को वादी श्री अंकित मिश्रा पुत्र श्री अनिल कुमार मिश्रा निवासी कैलाश इन्क्लेव, वृन्दावन योजना, लखनऊ द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा दिनांक 04.09.2026 को वादी के पुत्र के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी, जिससे वह बेहोश हो गया तथा विपक्षीगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0-606/2026 धारा 352/115(2)/110/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर वीडियो में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे 02 बाल अपचारियों की पहचान कर उन्हें पुलिस संरक्षण में लिया गया।

दोनों बाल अपचारियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें बाल संरक्षण में भेजा गया।

03- पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-606/2026, धारा 352/115(2)/109(1)/351(3)/3(5) बीएनएस, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ।

04- पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार
2. का0 साहबदीन

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1666

दिनांक-13.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-नगराम

- **थाना नगराम पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

मा0 न्यायालय में नियत तिथियों पर काफी लम्बे समय से उपस्थित नही हो रहा वारण्टी अभियुक्तों-

1- वासुदेव पुत्र गज्जू रावत उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम बकतखेडा मजरा पतौना थाना नगराम लखनऊ **संबन्धित वाद सं0-7223/14** अ0स0-90/13 धारा-325/323/504 आईपीसी थाना नगराम लखनऊ व

2- भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामआधार उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गुलालखेडा थाना नगराम लखनऊ **संबन्धित वाद सं0-37971/20** एनसीआर नं0-98/19 धारा-323 आईपीसी थाना नगराम लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय द्वारा NBW वारण्ट निर्गत किया गया था।

एनबीडब्लू/वारण्टी अभियान के क्रम में वारण्टी/अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष नगराम के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गयी थी। गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.09.2026 को वारण्टी/अभियुक्त वासुदेव व भूपेन्द्र कुमार उपरोक्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया तथा वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

02-गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का विवरण-

1. वासुदेव पुत्र गज्जू रावत निवासी ग्राम बकतखेडा मजरा पतौना थाना नगराम जनपद लखनऊ।
2. भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामआधार निवासी ग्राम गुलालखेडा थाना नगराम जनपद लखनऊ।

03-आपराधिक इतिहास- अभियुक्त वासुदेव

01. मु0अ0सं0 104/23 धारा 323, 354, 354(ख), 427, 452, 504, 506 भादवि थाना नगराम लखनऊ

02. मु0अ0सं0 133/23 धारा 323,504,506 भादवि थाना नगराम लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर
2. उ0नि0 ऋषभ पाण्डेय
3. का0 सुनील कुमार राय
4. का0 गौरव तिवारी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1665

दिनांक-13.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरूण गाबा, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार, पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मोहम्मद मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.01.2026 को वादी शिव कुमार पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम सहायखेड़ा, तहसील पुरवा, थाना मौरावां, जनपद उन्नाव द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण द्वारा फर्जी पारिवारिक रजिस्टर नकल तैयार कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर गाटा संख्या-65, स्थित ग्राम बिरसिंहपुर, थाना निगोहा, जनपद लखनऊ की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0-29/2026 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर तथा स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त **लवकुश पुत्र शत्रोहन निवासी ग्राम नेवलखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 23 वर्ष** को दिनांक 13.09.2026 को ब्लू ऑर्चिड के पीछे से हिरासत पुलिस में लिया गया।

अभियुक्त को पंजीकृत अभियोग के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त अभियोग में दिनांक 07.06.2026 को अभियुक्त **राहुल पुत्र शत्रोहन निवासी ग्राम नेवलखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ** तथा दिनांक 25.04.2026 को अभियुक्त **दशरथ पुत्र शत्रोहन निवासी ग्राम नेवलखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ** को पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तार अभियुक्त लवकुश से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी पारिवारिक रजिस्टर की नकल तैयार कर वरासत के आधार पर भूमि अपने नाम करा ली गयी थी।

04- अभियुक्त का विवरण-

लवकुश पुत्र शत्रोहन, निवासी ग्राम नेवलखेड़ा, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 23 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 29/2026 धारा 420/467/468/471/120बी आईपीसी थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

06-व्यवसाय-

- अभियुक्त लवकुश मजदूरी करता है।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1664

दिनांक-13.09.2026

जोन- मध्य / थाना-महानगर

- **थाना महानगर पुलिस द्वारा वादिनी मुकदमा के घर से चोरी करने के मामले नामजद आरोपी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार**
- **कब्जे से चोरी के 02 अदद कंगन पीली धातु व नगदी बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.08.2026 को वादिनी श्रीमती शालिनी मिश्रा पत्नी प्रवीण कुमार मिश्रा पता टी5902 मेट्रोसिटी पेपर मिल कलोनी निशातगंज थाना महानगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत तहरीर बावत वादिनी के नौकरों द्वारा घर से 50 लाख रूपये नकद व लगभग 01 करोड़ के मूल्य के गहनों की चोरी करने के संबंध में प्राप्त हुआ जिस पर थाना महानगर लखनऊ पर मु0अ0सं0 209/2025 धारा 306 बीएनएस बनाम 1.जीतेन्द्र पंडित उम्र लगभग 43 वर्ष पुत्र राम विलाश पंडित निवासी वार्ड 02 सोहराय पंडौल मधुबनी बिहार 2. विभा देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी जीतेन्द्र पंडित निवासिनी शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में कार्यवाही के दौरान अभियुक्ता विभा देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी जीतेन्द्र पंडित निवासिनी वार्ड 02 सोहराय पंडौल मधुबनी बिहार को दिनांक 13.09.2026 को विजय टैन्ट हाउस रून्नी सैदपुर थाना रून्नी जनपद सीतामढ़ी बिहार से गिरफ्तार किया गया।

जिसके कब्जे से चोरी किये गये रूपयों से खरीदे गये आभूषण कुल बजन 55.420 ग्राम व 25000 रूपये/-नगद बरामद हुए, जिससे मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी तथा **अभियुक्ता के बैंक अकाउंट जिसमें 60 लाख रूपये जमा हैं को फ्रीज कराया गया।**

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पति जितेन्द्र पण्डित लगभग 12 वर्ष से वादिनी मुकदमा शालिनी मिश्रा के घर पर ही रहकर खाना बनाने का काम करते जिसमें मैं कभी- कभी शालिनी मिश्रा के घर पर लखनऊ आया करती थी। हम लोग शालिनी मिश्रा के फ्लैट मैट्रो सिटी पेपर मील से मौका देखकर कई बार मैं पैसे व आभूषण की चोरी करते थे तथा चोरी किये गये पैसे व आभूषण बेच कर प्राप्त पैसा हम दोनों द्वारा अकाउंट में डाल दिया गया था तथा कुछ आभूषण खरीद लिये गये थे एवं जमीन भी खरीद ली गयी थी तथा कुछ पैसे घर पर खर्च के लिए रख लिये गये थे। अभियुक्ता को रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. विभा देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी जीतेन्द्र पंडित निवासिनी वार्ड 02 सोहराय पंडौल मधुबनी बिहार

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 209/2025 धारा 306/317(2) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ

06-बरामदगी-

- 02 अदद पीली धातु के कंगन वजनी करीब 55.420 ग्राम
- नगद 25000/- रूपये बरामद चोरी किये गये

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आलोक कुमार थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 लाल बहादुर सिंह थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म0उ0नि0 दीप्ती थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1668
दिनांक-13.09.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- ***थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा नकली पान मसाला बनाकर असली कम्पनी के रेपर में पैक करके बेचने वाले 02 नफर अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।***
- ***पकड़े गये अभियुक्त नकली पान मसाला बनाकर कमला पसंद, राजश्री, गोल्ड मोहर, विमल आदि अलग अलग कम्पनियों के रेपर तैयार करके नकली पान मसाला भरकर मार्केट मे असली के दामो मे बेच देते थे।***
- ***पकड़े गये अभियुक्तो के कब्जे से बरामद मिलावटी नकली 39.5 किलो तैयार मसाला , 5.5 किलो खुला तम्बाकू, 600 ग्राम कत्था चूना पाउडर व अन्य रेपर आदि बरामद।***

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 12.09.2026 को थाना मड़ियांव की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में देखभाल, रोकथाम जुर्म-जरायम एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान सीतापुर रोड पर मौजूद थी। इसी दौरान श्री अंकित कुमार पुत्र विजय शंकर पाण्डेय, निवासी बी-2, अमौसी इण्डस्ट्रियल एरिया, नादरगंज, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ, प्रतिनिधि KVN FMCG PVT. LTD. (राजश्री एवं कमला पसंद ब्रांड पान मसाला) द्वारा सूचना दी गयी कि थाना मड़ियांव क्षेत्रान्तर्गत सिकरवार चौराहे के पास स्थित एक मकान में दो व्यक्ति विभिन्न कम्पनियों के नाम से नकली पान मसाला तैयार कर रहे हैं तथा उनके पास पान मसाला तैयार करने एवं पैकिंग करने के उपकरण भी मौजूद हैं।

सूचना पर थाना मड़ियांव पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त स्थान से दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में प्रथम व्यक्ति ने अपना नाम **पिन्टू गुप्ता पुत्र मोतीलाल गुप्ता, निवासी ग्राम देहली महराजगंज, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 45 वर्ष** तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम **पवन साहू पुत्र पूर्णमाशी साहू, निवासी देहली महराजगंज, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 30 वर्ष** बताया।

मौके से अभियुक्तगण के कब्जे से **39.5 किग्रा तैयार मिलावटी/नकली मसाला, 5.5 किग्रा खुला तम्बाकू, 600 ग्राम कत्था-चूना पाउडर, विभिन्न कम्पनियों के पान मसाला/तम्बाकू के पैकेट एवं खाली पाउच/रैपर, रैपर के विभिन्न रोल, इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग मशीन, मशीन के पार्ट्स, रैपर चिपकाने वाला हीटर, एलीमेंट हीटर, पान मसाला के सेंट की बोतलें, मिक्सिंग हेतु स्टील का कटोरा तथा घटना में प्रयुक्त 02 स्कूटी संख्या UP32QK9774 एवं UP32NU4579** बरामद हुई।

अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न कम्पनियों के नाम से नकली पान मसाला तैयार कर उसे संबंधित कम्पनियों के मिलते-जुलते/फर्जी रैपर में पैक कर बाजार में असली उत्पाद के मूल्य पर बेचकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता था।

उक्त कृत्य के संबंध में थाना मड़ियांव पर **मु0अ0सं0 443/2026, धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस एवं धारा 63/65 कॉपीराइट एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को उनके जुर्म, गिरफ्तारी के आधार एवं विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए दिनांक 12.09.2026 को समय करीब 20:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। मौके से बरामद दोनों स्कूटी को माल मुकदमाती के रूप में सीज किया गया।

आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है। दौराने कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

02-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)-

अभियुक्तगण विभिन्न पान मसाला कम्पनियों जैसे **कमला पसंद, राजश्री, गोल्ड मोहर, विमल आदि** के नाम से नकली पान मसाला तैयार करते थे। इसके पश्चात संबंधित कम्पनियों के मिलते-जुलते रैपर तैयार/प्राप्त कर उनमें नकली पान मसाला भरकर पैकिंग करते थे तथा तैयार नकली उत्पाद को बाजार में असली उत्पाद के दाम पर बेचकर अच्छा-खासा मुनाफा अर्जित करते थे।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. **पिन्टू गुप्ता** पुत्र मोतीलाल गुप्ता, निवासी ग्राम देहली महराजगंज, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 45 वर्ष। **व्यवसाय-** नकली पान मसाला बनाने का कार्य।
2. **पवन साहू** पुत्र पूर्णमाशी साहू, निवासी देहली महराजगंज, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 30 वर्ष। **व्यवसाय-** नकली पान मसाला बनाने का कार्य।

04-बरामदगी का विवरण-

- 39.5 किग्रा तैयार मिलावटी/नकली मसाला।
- 5.5 किग्रा खुला तम्बाकू।
- 600 ग्राम कत्था-चूना पाउडर।
- S-7 Scented Zarda पैकेट – 01 बोरी।
- Black Label-2 Premium Chewing Tobacco/कमला पसंद पैकेट – 04 बोरी।
- Kishore Superb पाउच – 01 बोरी।
- Kishore Superb Taste Real Action मसाला – 04 बोरी।
- Rajshree पैकेट – 04 बोरी।
- Ojaswi-2 Tobacco/Kishore मिक्स पैकेट – 01 बोरी।
- Rajshree पाउच – 01 बोरी।
- No Entry, Kamla Pasand एवं Rajshree Gold के पैकेट/पन्नियां – 01 सफेद पन्नी में।
- Rajshree Gold पैकेट – 02 बोरी।
- Kishore के खाली पाउच – 01 बोरी।
- विभिन्न पान मसाला कम्पनियों की खाली पन्नियां – 01 बोरी।
- कमला पसंद के खाली डिब्बे एवं छोटे-बड़े खाली रोल – 01 बोरी।
- विभिन्न पान मसाला कम्पनियों के खाली कटे-फटे पाउच – 02 बोरी।
- Kishore पान मसाला रैपर के छोटे-बड़े रोल – 03।
- Rajshree Gold रैपर के छोटे-बड़े रोल – 06।
- Ojaswi-2 Tobacco रैपर के छोटे-बड़े रोल – 03।
- Rajshree रैपर के छोटे-बड़े रोल – 08।

- Vimal रैपर के छोटे-बड़े रोल – 05।
- Kamla Pasand पान मसाला रैपर के छोटे-बड़े रोल – 05।
- SNK पान मसाला रैपर के छोटे-बड़े रोल – 04।
- इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग मशीन – 01 अदद।
- मशीन के पार्ट्स (सूट) – 10 अदद।
- रैपर चिपकाने वाला हीटर – 01 अदद।
- एलीमेंट हीटर – 01 अदद।
- SNK पान मसाला का सेंट – 01 बोतल।
- राजश्री पान मसाला का सेंट – 01 बोतल।
- मिक्सिंग हेतु स्टील का कटोरा – 01 अदद।
- घटना में प्रयुक्त स्कूटी संख्या UP32QK9774 एवं UP32NU4579 – 02 अदद।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना मड़ियांव

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 अखिलेश कुमार
3. उ0नि0 अशोक कुमार सिंह
4. उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार
5. उ0नि0 आदित्य द्विवेदी
6. उ0नि0 राजकुमार राय
7. का0 रविन कुमार
8. का0 मंजीत सिंह
9. श्री अंकित कुमार, प्रतिनिधि KVN FMCG PVT. LTD. (राजश्री एवं कमला पसंद ब्रांड पान मसाला)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1663
दिनांक-13.09.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- ***थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।***
- ***हत्यारे के कब्जे से बरामद आलाकत्ल चाकू।***
- ***मुस्तैद पुलिस महकमा: हत्या करने वाला आपराधी कोतवाली सदर खीरी के कई मुकमों में था फरार।***
- ***कानून का शिकंजा: जघन्य हत्याकांड के आरोपी 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर किया सनसनीखेज घटना का खुलासा।***
- ***मोटर साइकिल से टच हो जाने को लेकर की गयी थी हत्या।***
- ***अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रूपये का पुरस्कार दिया गया।***

01-कार्यवाही।

दिनांक 12.09.2026 को आवेदक श्री प्रदीप तिवारी पुत्र मगन विहारी तिवारी निवासी भरतत नगर आनन्द हास्पीटल थाना मड़ियाव द्वारा बावत आवेदक के पिता जी मृतक मगन बिहारी तिवारी उम्र करीब 70 वर्ष व आवेदक के पुत्र संकल्प तिवारी उम्र करीब 22 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल निकालने पर टच होने को लेकर वाद विवाद हो गया जिसमें अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकू से हमला कर दिया जिसमें मृतक मगन बिहारी तिवारी तथा संकल्प तिवारी के गम्भीर चोट आ गयी। जिनको तत्काल इलाज हेतु केजीएमसी ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया मगन बिहारी तिवारी की दौरान इलाड चिकित्सको के द्वार मृत घोषित कर दिया तथा संकल्प तिवारी का इलाज चल रहा है उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 442/2026 धारा 109(1)/103(1) बीएनएस बनाम राजकुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13.09.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम पेण्डिंग विवेचना जांच अहकामात, जाँच संदिग्ध, तलाश वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0- 442/2026 हेतु क्षेत्र में रवाना होकर नौवस्ता मोड़ पर मौजूद थी। कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब जिस व्यक्ति ने देशी शराब के ठेके के सामने हत्या कर दी है वह अभी मड़ियाव पुल के मौजूद है जो कही भागने की फिराक है यदि जाये तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राजकुमार पुत्र श्रीराम निवासी ईदगाह के पास थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी उम्र-42 वर्ष बताया। पड़के गये व्यक्ति के कब्जे से 01 अदद सार्पनर चाकू बरामद हुआ।

पकड़े गये अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियमानुसार दिनांक 13.08.2026 को समय करीब 14.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03. पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तारशुदा अभि0 राजकुमार पुत्र श्री राम निवासी ईदगाह राजगढ़ थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभि0 राजकुमार उपरोक्त कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी से 08 वर्ष से लापता हिस्ट्रीशीटर है जिसकी तलाश लखीमपुर पुलिस के द्वारा की जा रही थी।

04.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त द्वारा वादी के पिता मगन बिहारी तिवारी के चाकू मारकर हत्या कर देना।

05.अभियुक्त का विवरण:-

01. राजकुमार पुत्र श्री राम निवासी ईदगाह राजगढ़ थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी (व्यव्साय – पैन्टिंग का काम)

06. बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद सार्पनर चाकू

07. अपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0-45/2008 धारा 216/364/364A भादवि थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी
02. मु0अ0सं0-1349/2019 धारा 302/324/504 भादवि, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट कोतवाली सदर खीरी
03. मु0अ0सं0- 074/21 धारा 174A भादवि कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी
04. मु0अ0सं0- 442/26 धारा 109(1)/103(1) बीएनएस थाना मड़ियाव जनपद लखनऊ
05. मु0अ0सं0- 100/08 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी
06. मु0अ0सं0- 1006/18 धारा 363/366/376 भादवि थाना कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी
07. मु0अ0सं0- 54/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीकेटी जनपद लखनऊ
08. मु0अ0सं0- 49/2008 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना बीकेटी जनपद लखनऊ

08.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री अमित साहू
3. उ0नि0 श्री दीपक कुमार पाण्डेय
4. उ0नि0 श्री राजदीप चौधरी
5. हे0का0 गौरव कुमार
6. हे0का0 दुर्गेश सिंह
7. का0 रवीश कुमार
8. का0 मंजेश कुमार
9. का0 सचिन दुबे
10. का0 मनोज कुमार
11. का0 रोहित कुमार
12. का0 राम सिंह राणा
13. का0 मयंक कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1670
दिनांक- 13.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

- **थाना काकोरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार एवं 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **चोरी किए गए बर्तन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.09.2026 को वादी श्री हंसराज यादव पुत्र स्व0 कन्हैया लाल निवासी ग्राम हरदोईया कोतवाली काकोरी लखनऊ के द्वारा मकान का ताला व जाल उखाड़कर बर्तन चोरी करने के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-293/2026 धारा-305(A)/331(4) बी0एन0एस0 की घटना के सफल अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी।

दिनांक 12.09.2026 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा बंद पड़ी हड्डी फैक्ट्री के पास से घेराबंदी कर 01 नफर अभियुक्त आशीष पुत्र स्व0 मिश्रीलाल निवासी ग्राम हरदोईया लालनगर थाना काकोरी लखनऊ उम्र लगभग 40 वर्ष को गिरफ्तार करते हुए 01 नफर बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।

पूछताछ पर दोनों ने अपने पड़ोसी हंसराज यादव के मकान से बर्तन चोरी करने की बात स्वीकार की तथा अभियुक्त की निशादेही पर चोरी किये गये बर्तनों को बरामद किया गया। वादी मुकदमा द्वारा मौके पर आकर अपने चोरी हुए बर्तनों एवं अभियुक्तों की पहचान की गई।

अभियुक्त आशीष उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी/आधार व अधिकारों से अवगत कराते हुए समय करीब रात्रि 10.09 बजे हिरासत पुलिस में तथा 01 नफर बाल अपचारी को निगरानी में लिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार / निगरानी में लिये गये अभियुक्त / बाल अपचारी का विवरण-

1. आशीष पुत्र स्व0मिश्रीलाल निवासी ग्राम हरदोईया लाल नगर थाना काकोरी लखनऊ उम्र लगभग 40 वर्ष
2. बाल अपचारी उम्र करीब 14 वर्ष

03- बरामदगी का विवरण -

- 02 अदद बटुआ पीतल (एक बड़ा वजनी लगभग 20 किग्रा व एक छोटा)
- 01 अदद बड़ी परात पीतल
- 02 अदद कटोरी स्टील
- 02 अदद छन्नी
- 02 अदद चमचा स्टील
- 01 अदद कल्चुल
- 01 अदद प्लेट स्टील

04- पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-293/2026 धारा-305(A)/331(4) बी0एन0एस0 थाना काकोरी लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह थाना काकोरी जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री छत्रजीत सिंह थाना काकोरी जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री दयानन्द तिवारी थाना काकोरी जनपद लखनऊ।
4. का0 देवेन्द्र कुमार लवानियां थाना काकोरी जनपद लखनऊ (सादे वस्त्रों में)।
5. का0 विवेक कुमार थाना काकोरी जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1662
दिनांक-13.09.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गुडम्बा

- **पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ की क्राइम टीम व थाना गुडम्बा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रेकी कर बंद मकानों का ताला तोडकर चोरी करने वाले 02 शातिर चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी के आभूषण व घटना मे प्रयुक्त एक अदद दोपहिया वाहन बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री उज्ज्वल कुमार श्रीवास्तव निवासी पूर्वाचंल लेन किरण इन्क्लेव थाना गुड़म्बा लखनऊ द्वारा दिनांक 04.09.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 345/2026 धारा 305(1) बी.एन.एस. बावत अज्ञात तीन चोरो द्वारा वादी के घर से सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया।

दिनांक 13.09.2026 को पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ क्राइम टीम व थाना गुडम्बा लखनऊ की संयुक्त पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण हेतु चौकी क्षेत्र गढी थाना गुडम्बा लखनऊ में मामूर थे तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण डीएच-2 कालोनी के आसपास रेकी कर रहे हैं और किसी घटना को कारित करने की फिराक में है।

इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जिनसे नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1.मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद मुशीर निवासी तम्बाकू मंडी चिकवा नाला थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मो0 शुएब पुत्र मो0 साबिर निवासी नूरपुर महमूदाबाद थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर उम्र करीब 26 वर्ष हालपता दुबग्गा सब्जी मण्डी के पास किराये का मकान थाना दुबग्गा लखनऊ बताया।

पकडे गये व्यक्तियों के कब्जे से 01 अदद मंगलसूत्र मय पेण्ड़ल, एक अदद अंगूठी सभी पीली धातु, 1 अदद चैन पीली धातु व 02 अदद सिक्के सफेद धातु व घटना मे प्रयुक्त एक अदद दोपहिया वाहन UP32 NX 6772 स्पेलेन्डर प्लस रंग काला बरामद हुआ जिसके आधार पर अभियोग में धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गयी।

बरामद आभूषण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 345/2026 धारा 305(1) बी.एन.एस का अभियोग का पंजीकृत होना पाया गया एवं **बरामदशुदा मो0सा0 सं. UP32 NX 6772 स्पेलेन्डर प्लस के सम्बन्ध में थाना दुबग्गा लखनऊ पर मु0अ0सं0 260/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 में** दिनांक 28.08.2026 को पंजीकृत होना पाया गया।

अभियुक्तगण 1. मोहम्मद आसिफ 2. मो0 शुएब उपरोक्त को 13.09.2026 डीएच-2 कालोनी से माननीय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि एक सप्ताह पहले किरण इंक्लेव कालोनी भाखामऊ से अपने साथी खलील पुत्र गरीबे निवासी अकबरी गेट, कटरा विजन बेग, थाना सआदतगंज लखनऊ के साथ मिलकर एक बन्द मकान में रात्रि के समय ताला तोड़कर चोरी की थी जिसमें हमें एक लैपटाप, एक हार्ड डिस्क, एक गले का मंगलसूत्र पेण्ड़ल सहित, गले की चैन, एक अंगूठी व चांदी के दो सिक्के तथा दो कलाई वाली घडियां मिलीं थीं एवं पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से बरामद मो0सा0 सं. UP32 NX 6772 के बारे में पूछने व कागजात तलब करने पर कोई भी कागजात दिखाने से कासिर रहे, कड़ाई से पूछताछ करने पर शुएब उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल हमने व खलील ने मिलकर करीब दो सप्ताह पहले दुबग्गा सब्जीमण्ड़ी के पास से चोरी की थी, तथा इसी मो0सा0 से हम लोगों ने किरण इंक्लेव कालोनी की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुनः आज हम लोग चोरी करने फिराक में आये थे कि पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 345/2026 धारा 305(ए) बी0एन0एस0, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 260/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना दुबग्गा कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मोहम्मद आसिफ पुत्र मो0 मुशीर निवासी तम्बाकू मंडी चिकवा नाला थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष
2. मो0 शुएब पुत्र मो0 साबिर निवासी नूरपुर महमूदाबाद थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर उम्र करीब 26 वर्ष हालपता दुबग्गा सब्जी मण्डी के पास किराये का मकान थाना दुबग्गा लखनऊ

05- आपराधिक इतिहास अभियुक्त शोएब पुत्र मो0 साबिर

1. मु0अ0सं0 63/2020 धारा 364-ए आईपीसी थाना गुड़म्बा जनपद लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

06-बरामदगी-

- 01 अदद मंगलसूत्र मय पेंण्ड़ल,
- एक अदद अंगूठी पीली धातु
- 01 अदद चैन पीली धातु,
- 02 अदद सिक्के सफेद धातु,
- एक अदद दोपहिया वाहन UP32 NX 6772 स्पेलेन्डर प्लस

07-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना गुडम्बा पुलिस टीम	**क्राइम टीम (डीसीपी पूर्वी)**
1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र	1. उ0नि0अमर नाथ
2. उ0नि0 संदीप सिंह गौर	2. हे0का0 सन्दीप पाण्डेय
3. उ0नि0 अतीश कुमार सिंह	3. का0 तरनजीत सिह
4. हे0का0 भोलेनाथ राय	4. का0 अजय यादव
5. हे0का0 राजन त्रिपाठी	5. का0शिवानन्द खरवार
6. का0 अनिल कुमार	6. का0 राघवेन्द्र सिहं
7. का0 उमेश चन्द्र	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-.1669

दिनांक-13/09/2026

जोन पश्चिमी / थाना-कैसरबाग

- **थाना कैसरबाग पुलिस टीम द्वारा चोरी की आई-10 कार एवं चोरी के अन्य सामान के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.09.2026 को वादी मुकदमा श्री सैय्यद आरिफ हुसैन पुत्र स्व0 सैय्यद मुख्तार हुसैन निवासी सलेमपुर हाउस, कैसरबाग, सफेद बारादरी के पीछे, थाना कैसरबाग, लखनऊ द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कैसरबाग पर मु0अ0सं0-157/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 राजेश कुमार यादव द्वारा की जा रही है। उक्त अभियोग में चोरी गये माल एवं अभियुक्त की तलाश हेतु थाना कैसरबाग पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 13.09.2026 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु क्षेत्र में भ्रमण/चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान परिवर्तन चौराहे की तरफ से एक नीले रंग की आई-10 कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम को देखकर चालक द्वारा कार को अचानक मोड़कर पीछे की ओर ले जाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से वाहन को रोककर चेक किया गया।

वाहन का नम्बर **UP 32 RC 1451**, आई-10 ग्राण्ड निओस पाया गया, जो थाना कैसरबाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0-157/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी का वाहन था। वाहन चालक से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम **शुऐब उर्फ रेहान पुत्र स्व0 कलीम निवासी दरगाह शरीफ नुरूद्दीन चक, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच, हाल पता बहादुरपुर, निकट मदरसा इस्लामिया (नदी का पुल), थाना जहांगीराबाद, जनपद बाराबंकी** बताया।

वाहन के कागजात मांगने एवं वाहन लेकर भागने का कारण पूछने पर अभियुक्त द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा उक्त आई-10 कार को बारादरी के पीछे से चोरी करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह शानू नामक व्यक्ति से मिलने लखनऊ आया था तथा उसके कमरे से कार की चाबी मिलने पर लालचवश कार चोरी कर जहांगीराबाद, बाराबंकी चला गया था। आज चोरी की कार को छिपाने के उद्देश्य से वापस लेकर आया था।

जामा तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नीले रंग का रियलमी मोबाइल फोन एवं 500 रुपये नगद बरामद हुए। मोबाइल फोन को चेक करने पर उसमें पीली एवं सफेद धातु के आभूषणों की फोटो मिली। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि उक्त आभूषण उसे चोरी की कार के डैशबोर्ड में मिले थे तथा कैमरे के पार्ट्स कार की पिछली सीट पर रखे हैं। अभियुक्त द्वारा एक ब्रेसलेट राह चलते बेच देना बताया गया तथा शेष सामान कार में होना बताया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर कार के डैशबोर्ड से एक अदद कटोरी (Made in Turkey), एक अदद SEIKO QUARTZ घड़ी, तीन अदद अंगूठी, एक जोड़ी लर लगी बाली, एक जोड़ी सफेद धातु के झुमके तथा एक अदद सुनहरा

पंख (पीली धातु) बरामद हुआ। कार की पिछली सीट से Canon कम्पनी के कैमरे के 05 अदद पार्ट्स एवं एक नीले रंग का Hyundai झोला बरामद हुआ।

अभियुक्त को उसके द्वारा किये गये अपराध एवं पंजीकृत अभियोग में धारा **317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए दिनांक 13.09.2026 को समय करीब **02:45 बजे** विधिवत गिरफ्तार किया गया। चोरी की आई-10 कार एवं अन्य बरामद सामान को कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त शुऐव उर्फ रेहान द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह दीवारों एवं मकानों में रंगाई-पुताई का काम करता है। उसके पिता का देहान्त हो चुका है तथा उसकी मां घरों में काम करती हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01-शुऐव उर्फ रेहान पुत्र स्व0 कलीम, निवासी दरगाह शरीफ नुरूद्दीन चक, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच, हाल पता बहादुरपुर, निकट मदरसा इस्लामिया (नदी का पुल), थाना जहांगीराबाद, जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 23 वर्ष।

04- बरामदगीः-

- आई-10 ग्राण्ड निओस चार पहिया वाहन, नीला रंग – 01 अदद
- कटोरी (Made in Turkey) – 01 अदद
- SEIKO QUARTZ कम्पनी की घड़ी – 01 अदद
- अंगूठी – 03 अदद
- लर लगी बाली – 01 जोड़ी
- सफेद धातु के झुमके – 01 जोड़ी
- सुनहरा पंख, पीली धातु – 01 अदद
- Canon कम्पनी के कैमरे के पार्ट्स – 05 अदद
- Hyundai कम्पनी का नीले रंग का झोला – 01 अदद

05- पंजीकृत अभियोगः-

01-मु0अ0सं0-157/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कैसरबाग, कमिश्नरेट लखनऊ।

06- गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 अंजनी कुमार मिश्रा, थाना कैसरबाग, लखनऊ।
2. उ0नि0 राजेश कुमार यादव, थाना कैसरबाग, लखनऊ।
3. उ0नि0 अरविन्द कुमार, थाना कैसरबाग, लखनऊ।
4. उ0नि0 चन्दन कुमार मिश्रा, थाना कैसरबाग, लखनऊ।
5. उ0नि0 प्रशान्त कुमार, थाना कैसरबाग, लखनऊ।
6. का0 अरुण तेवतिया, थाना कैसरबाग, लखनऊ।
7. का0 प्रशान्त वर्मा, थाना कैसरबाग, लखनऊ।